



सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 25.09.2026

- थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे के अन्दर गैर इरादन हत्या की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को आला कत्ल पत्थर सहित किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 23.09.2026 को वादी श्री आनन्द कुशवाहा पुत्र रामजीवन कुशवाहा निवासी ग्राम चितवाखेड़ा, रसधान थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र बावत वादी की पुस्तैनी खेत 15 लाख रुपये में बिका था। वादी के पिता राम जीवन पुत्र परशुराम उम्र 45 वर्ष, जो कि शराब पीने के आदी है, शराब पीने के लिए घर में रखे ₹3,50,000/- उठाकर दिनांक 21.09.2026 को चले गये थे, शराब पीकर लोगों को पैसा दिखा रहे थे। शराब के नशे में किसी व्यक्ति द्वारा पैसा निकालने अथवा गिरने की आशंका के चलते वादी के बड़े भाई अभिषेक उम्र 24 वर्ष पुत्र रामजीवन द्वारा अपने पिता रामजीवन कुशवाहा को शराब पीने से मना करते हुए उनकी जेब में रखे पैसे ले लिये थे। जिसके चलते दिनांक 21.09.2026 को समय करीब 11:30 बजे रात्रि में वादी के पिता रामजीवन द्वारा वादी के बड़े भाई अभिषेक उम्र करीब 24 वर्ष के साथ मारपीट करते हुए सिर पर पत्थर मार देना, जिससे वादी के भाई अभिषेक का गंभीर रूप से घायल हो जाना, तथा इलाज के दौरान दिनांक 23.09.2026 को प्रातःकाल वादी के भाई अभिषेक की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0174/2026 धारा 105 बीएनएस बनाम रामजीवन कुशवाहा पुत्र स्व० परशुराम कुशवाहा निवासी ग्राम चितवाखेड़ा रसधान, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में नामित वांछित अभियुक्त रामजीवन कुशवाहा पुत्र स्व० परशुराम कुशवाहा निवासी ग्राम चितवाखेड़ा रसधान, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात को थाना क्षेत्र सिकन्दरा से जरौली मोड़ के पास बने यात्री प्रतीक्षालय से दिनांक 24.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त रामजीवन उपरोक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल पत्थर (वजन लगभग 05-06 कि०ग्रा०) को झाड़ियां ग्राम चितवाखेड़ा थाना क्षेत्र सिकन्दरा से बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. रामजीवन कुशवाहा उम्र करीब 46 वर्ष पुत्र स्व० परशुराम कुशवाहा निवासी ग्राम चितवाखेड़ा रसधान, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ अभियुक्त- अभियुक्त रामजीवन कुशवाहा ने बताया कि दिनांक 21.09.2026 को रुपये के लेन-देन को लेकर उसका अपने पुत्र अभिषेक से विवाद हो गया था। इसी बात को लेकर गुस्से में मैंने अपने पुत्र अभिषेक के सिर पर पत्थर से वार कर दिया था। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए अभियुक्त की निशादेही पर ग्राम चितवाखेड़ा के पास झाड़ियां में फेंका गया आला कत्ल पत्थर को पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया है।

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त आला कत्ल पत्थर (वजन लगभग 05-06 कि०ग्रा०)।

गिरफ्तार करने वाली थाना सिकन्दरा पुलिस टीम-

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्री इन्द्रजीत सिंह,
2. उ०नि० श्री प्रशान्त कुमार चौकी प्रभारी रसधान
3. उ०नि० श्री राजेश सिंह
4. हे०का० 114 नागेन्द्र सिंह
5. हे०का० 387 आदित्य कुमार
6. का० 279 केरन प्रताप
7. का० 140 अरुण प्रताप
8. का० 916 एकेश कुमार